भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3128

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सतत शहरी जल प्रबंधन

†3128. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में स्वीकृत, कार्यान्वित हो चुकी और कार्यान्वित की जा रही शहरी अपशिष्ट जल शोधन और पुनः उपयोग संबंधी परियोजनाओं का राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक उपयोग, कृषि और शहरी भू-निर्माण सहित गैर-पेयजल प्रयोजनों के लिए पुनः उपयोग किए जा रहे शोधित अपशिष्ट जल की सृजित क्षमता, प्रचालनात्मक क्षमता और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शहरी अपशिष्ट जल शोधन और पुनः उपयोग संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मल-जल शोधन क्षमता में कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो विशेषकर महानगरों और तटीय शहरों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने, मल-जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत शहरी जल प्रबंधन प्राप्त करने में तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) जल और स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह विभिन्न

योजनाओं/मिशनों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है।

अमृत के तहत, सीवेज शोधन क्षमता के लगभग 6,299 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) में वृद्धि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 34,471.71 करोड़ रुपये की कुल 888 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कुल 5,575 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का निर्माण किया गया है, जिसमें से 1,437 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है। अमृत 2.0 के तहत, 71,133.01 करोड़ रुपये की 605 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को शामिल करते हुए राज्य जल कार्य योजनाओं (स्वैप) को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 7,098 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/वृद्धि) का विकास शामिल है, जिसमें से 1,900 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए है। अमृत/अमृत 2.0 परियोजनाओं का राज्यवार और शहरवार विवरण https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल लगभग 6000 एमएलडी शोधित उपयोग किए गए पानी का गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है।

(ग) अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं, परियोजना-वार नहीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2025-26) में अपशिष्ट जल शोधन और पुन: उपयोग परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के लिए अमृत और अमृत 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 16,181.28 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है/स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 14,361.17 करोड़ रुपये की धनराशि का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग/व्यय किया गया है। तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश में कुल 52,644 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है और मौजूदा एसटीपी क्षमता 31,885.13 एमएलडी है।

अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0) और नमामि गंगे जैसे विभिन्न मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीवेज शोधन क्षमता में कमियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अमृत 2.0 के तहत, 500 अमृत शहरों में 7,098 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 10,000 एमएलडी से अधिक सीवरेज/सेप्टेज शोधन क्षमता को अनुमोदन दिया गया है और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत लगभग 6,600 एमएलडी एसटीपी क्षमता को स्वीकृति दी गई है।

(ङ) अमृत और अमृत 2.0 के तहत, शोधित प्रयुक्त पानी के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को स्थायी शहरी जल प्रबंधन और जल सुरक्षा के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सीवरेज और प्रयुक्त जल प्रबंधन परियोजनाओं के भाग के रूप में तृतीयक शोधन सुविधाओं, वितरण नेटवर्कों और भंडारण प्रणालियों सहित पुन: उपयोग संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के तहत पुन: उपयोग एक स्वीकार्य परियोजना घटक है और राज्यों को एसटीपी और सीवरेज परियोजनाओं के भीतर एंड-टू-एंड पुन: उपयोग प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सतत आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए पुनर्चक्रण योग्य शोधित पानी के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण और शोधित बहिस्त्राव में गुणवत्तापूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करना है। चक्रीयता को संस्थागत बनाने के लिए, इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रकोष्ठ (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं, जो संसाधन पुनर्प्राप्ति उपायों की योजना बनाने, निगरानी करने और उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा, 12 राज्यों ने प्रयुक्त पानी पुन: उपयोग नीति को अधिसूचित किया है।

तमिलनाडु राज्य ने अमृत 2.0 के तहत 29 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 81.51 एमएलडी सीवरेज शोधन क्षमता का विकास शामिल है, जिसमें से 32.65 एमएलडी प्रयुक्त पानी का पुन: उपयोग किया जाएगा। इससे पहले अमृत के तहत, राज्य ने 466 एमएलडी सीवरेज शोधन क्षमता पूरी कर ली है, जिसमें से 90 एमएलडी प्रयुक्त पानी का पुन: उपयोग किया जाएगा।

"सतत शहरी जल प्रबंधन" के संबंध में 06 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान अमृत और अमृत 2.0 के तहत शोधित प्रयुक्त पानी के पुन: उपयोग की परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के लिए जारी/स्वीकृत किया गया केंद्रीय हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी/स्वीकृत**	**प्राप्त यूसी / किया गया व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.51	1.68
2	आंध्र प्रदेश	485.56	2.00
3	अरुणाचल प्रदेश	56.37	18.46
4	असम	198.09	198.09
5	बिहार	507.05	112.85
6	चंडीगढ़	22.38	22.38
7	छत्तीसगढ़	187.72	187.72
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32.43	32.43
9	दिल्ली	262.78	104.24
10	गोवा	77.60	77.59
11	गुजरात	1656.94	1656.94
12	हरियाणा	474.57	458.88
13	हिमाचल प्रदेश	152.67	96.16
14	जम्मू और कश्मीर	100.00	100.00
15	झारखंड	164.92	164.92
16	कर्नाटक	1252.77	1252.77
17	केरल	378.53	331.56
18	लद्दाख	1.80	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00

20	मध्य प्रदेश	423.20	423.20
21	महाराष्ट्र	2169.42	2063.14
22	मणिपुर	26.95	10.50
23	मेघालय	75.07	75.07
24	मिजोरम	53.65	44.71
25	नागालैंड	66.88	66.88
26	ओडिशा	621.46	621.46
27	पुडुचेरी	91.61	91.61
28	पंजाब	309.87	309.87
29	राजस्थान	703.05	703.05
30	सिक्किम	19.97	12.62
31	तमिलनाडु	2695.00	2689.90
32	तेलंगाना	266.00	266.00
33	त्रिपुरा	110.69	110.69
34	उत्तर प्रदेश	1885.47	1426.52
35	उत्तराखंड	125.32	107.29
36	पश्चिम बंगाल	520.00	520.00
	कुल	16181.28	14361.17
